Reg. No. 28/65-66

ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

Website- www.gramvikasadhikari.org, E-Mail : rvdo.raj@gmail.com, Mob. 9829092714

क्रमांक :- RVDO-1 दिनांक :- 25/10/2024

—:: ज्ञापन ::—

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय,
पंचायतीराज विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :— स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना कर कार्य व्यवस्था एवं एपीओ के नाम पर किए जा रहे स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करवाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करवाने बाबत।

संदर्भ :— विभागीय आदेश क्रमांक 1075 दिनांक : 21.05.2021, आदेश क्रमांक : एफ 28 ( ) परावि/ प्रशा–2/ ग्राविअ/ ज्ञापन/ स्थानान्तरण/2023 जयपुर, दिनांक : 14.09.2023, माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प 5(1) प्रसु/अनु –1 / 2018 जयपुर, दिनांक : 23.05.2022, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक : 04.01.2023 एवम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का निर्णय दिनांक : 10.03.2023 ।

महोदय ,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्थानांतरण पर राज्य सरकार की ओर से संदर्भित आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लगाया हुआ है। स्थानांतरण प्रतिबंध के संबंध में दिनांक 04.01.2023 को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी है। जिसकी श्रृंखला में माननीय मुख्य सचिव महोदया के द्वारा भी आदेशों की प्रतीक्षा में तथा कार्य व्यवस्था के नाम पर के नाम पर किए जाने वाले स्थानांतरण को पूर्णतया अनुचित मानते हुए इस प्रकार का कोई स्थानांतरण नहीं करने और करने वाले उत्तरदायी आधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश जारी है।

श्रीमान जी पंचायती राज विभाग के द्वारा भी दिनांक 21 मई, 2021 को तथा 14 सितंबर, 2023 को स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी कार्मिक को निलंबित और एपीओ करने से पूर्व विभाग की अनुमति लिया जाना आवश्यक है, बिना विभाग की सक्षम स्वीकृति के एपीओ और निलंबन नहीं किया जाए तथा एपीओ और कार्य व्यवस्था के नाम पर कोई स्थानांतरण नहीं किया जावे।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार के प्रकरणों संबंधित पूर्व में विभाग की बिना सक्षम अनुमति के निलंबन और एपीओ करने पर पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में याचिकाएं दायर भी की है। जिन पर भी माननीय न्यायालय ने ऐसे प्रत्येक निलंबन एवं एपीओ आदेश को निरस्त किया है।

इसके उपरांत भी निकट भविष्य में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण सरपंचों एवं विभिन्न जन प्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव के चलते विभिन्न पंचायत समितियां में विकास अधिकारियों तथा कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा भी बिना विभागीय अनुमति के ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित और एपीओ किए जा रहे हैं। जो विभागीय आदेशों के पूर्णतया विपरीत है तथा बहुत बड़ी संख्या में ग्राम विकास अधिकारियों के एपीओ एवं कार्य व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण किया जा रहे हैं, जो कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, माननीय मुख्य सचिव महोदया तथा विभागीय निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि विभिन्न पंचायत समितियों में जारी इस प्रकार के समस्त आदेशों को निरस्त करने हेतु निर्देशित किया जावे तथा माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

इसके उपरांत भी यदि राज्य सरकार एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना कर जारी किए गए विभिन्न आदेशों को निरस्त नहीं किया गया तो मजबुरन संगठनात्मक गतिविधियां करनी होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।

सादर ।

भवदीय

(शिवराज चौधरी)
प्रदेश महामन्त्री
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,जयपुर

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रदेश अध्यक्ष
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:–एफ.28( )पंराधि/प्रशा–2/ग्राविअ/संस्था/2021/1075 जयपुर, दिनांक: 21-05-2021

–: परिपत्र :–

विभाग के ध्यान में आया है कि अधिकांश जिलों में अधिनस्थ कार्मिक/अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारियों द्वारा बिना किसी विभागीय पूर्वानुमति के अपने स्तर पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है तथा इसकी सूचना भी विभाग को नहीं दी जाती है । यह स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । ऐसे आदेशो में विभाग के सक्षम अनुमोदन तथा एपीओ/निलंबन की कार्रवाई के कारणों का उल्लेख नहीं होता है । किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एपीओ/निलंबन करने हेतु मुख्यालय की पूर्वानुमोदन/सूचना अनिवार्य है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से अपवादस्वरूप यदि किसी अधिनस्थ कार्मिक/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में (APO) करना आवश्यक समझा जाता है तो कारणों का विस्तृत विवरण देते हुए नियमानुसार विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त की जावे । अगर दोषी कर्मचारी पर गम्भीर आरोप हो तो उनके निलम्बन पश्चात् आरोप पत्र प्राथमिक जांच कर अविलम्ब दिये जावे । निलंबन के मामलों में जांच और चार्जशीट जारी करने की समयबद्धता होनी चाहिए । अतः कोई भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी बिना विभागीय पूर्वानुमति के भविष्य में किसी भी अधिनस्थ कार्मिक/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में (APO) नहीं करेंगे ।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पूर्व में भी समय–समय पर इस बाबत निर्देशित किया हुआ है । यह भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के एपीओ/निलंबन मामलों की समीक्षा करें और इन प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करावें । अन्यथा की स्थिति में आप उत्तरदायी होंगे ।

वर्तमान मे चल रहे कोरोनाकाल को मध्यनजर रखते हुए यह भी अपेक्षा की जाती है कि समस्त अधिकारीगण अधिनस्थ कार्मिकों को प्रोत्साहित करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य सम्पादित करावें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(डॉ0 घनश्याम)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1–निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
2–निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर ।
3–निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
4–जिला कलक्टर, समस्त ।
5–मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद– समस्त ।
6–विकास अधिकारी, पंचायत समिति– समस्त ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव(प्रथम)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner